कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, श्रावस्ती।

पत्रांक- C-4174 /जि०का०अधि०/आ०बा०चयन/ विज्ञप्ति / 2026-27 दिनांक: 06-07-2026

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या-1 / 1092245 /2025/3313/58-1-2025 (1917687) दिनांक 17 सितम्बर, 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद श्रावस्ती के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित समस्त बाल विकास परियोजनाओं में आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं के मानदेय आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत वैकेन्सी मैनेजमेण्ट पोर्टल https@upanganwadibharti- पर ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 07.07.2026 से आमंत्रित किये जाते है-

रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत् है-

क्र०सं०	परियोजना का नाम	आंगनबाड़ी कार्यकत्री के कुल रिक्त पदों की संख्या	आंगनबाड़ी सहायिका के कुल रिक्त पदों की संख्या
01	इकौना	06	03
02	गिलौला	22	12
03	हरिहरपुररानी	13	20
04	जमुनहा	08	15
05	सिरसिया	09	05
06	शहर	02	13
योग		60	68

उक्त पदों का ग्रामसभा/वार्डवार आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील, विकास खण्ड एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के साथ ही वैकन्सी मैनेजमेण्ट पोर्टल https@upanganwadibharti पर अपलोड कर दिया गया है।

विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु मुख्य नियम एवं शर्तें निम्नवत् है-

1. विज्ञापित पदों पर केवल स्थानीय / भारतीय महिला अभ्यर्थी ही पात्र होगीं।
2. चयन की समस्त कार्यवाही शासनादेश संख्या-1/1092245/2025/3313/58-1-2025(1917687) दिनांक 17 सितम्बर, 2025 में वर्णित प्रक्रिया के अधीन होगीं।
3. आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिका हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष होगी।
4. आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड (नगर निकाय की स्थिति में)/ रिक्त ग्राम पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में) की निवासी होना अनिवार्य होगा।
5. आवेदिका की आयु निर्धारित कट ऑफ तिथि (01.07.2026) को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगीं।

मोहित पाण्डेय
जिला कार्यक्रम अधिकारी
श्रावस्ती

पृष्ठ-2 पर जारी

6. आयु के सम्बन्ध में आंगनबाड़ी कार्यकत्री / सहायिकाओं के लिए हाई-स्कूल अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।
7. (I)- विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी / सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण-पत्र या परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी।
(II)- तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में मा० न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होगें।
(III)- आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-3959/1-9-11-राज0-9 दिनांक 30.09.2011 (यथा संशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगें, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो।
8. गरीबी रेखा की आय सीमा का पुनर्निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग-2 उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 22/2015/2123/26-2-2015, दिनांक 14 सितम्बर, 2015 (यथा संशोधित) द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा।
9. निवास व जाति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो।
10. आय प्रमाण पत्र की वैधता की गणना विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से की जायेगी।
11. जो पद जिस श्रेणी हेतु आरक्षित है, उसी श्रेणी के आवेदन मान्य होंगे। अनारक्षित श्रेणी के पदों पर किसी भी जाति के आवेदन स्वीकार किये जा सकेगें।
12. विज्ञापित पदों हेतु केवल वैकेन्सी मैनेजमेण्ट पोर्टल https@upanganwadibharti पद पर ऑनलाइन आवेदन फार्म निर्धारित समयावधि के अन्दर स्वीकार होगें। ऑफलाइन आवदेन फार्म किसी भी दशा में मान्य / स्वीकार नहीं किये जायेगें। अभ्यर्थियों द्वारा पोर्टल पर चाहीं गई वांछित सूचना न भरने पर अथवा अभिलेख अपलोड नहीं किये जाने पर कोई भी आवेदन या अभिलेख/प्रपत्र ऑफलाइन या डाक द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
13. आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध फार्मेट पर ऑनलाइन व सही-सही सावधानी पूर्वक भरना होगा, किसी भी प्रकार की त्रुटि होने या कोई तथ्य/आंकड़े/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूटरचित पाए जाने पर पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाना प्रावधानित है, जिसके लिए आवेदिका स्वयं उत्तरदायी होगीं। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्व हस्ताक्षरित प्रति जो स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड किया जाना अनिवार्य है, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फार्म में किया गया हो।
14. उपरोक्त विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवदेन करने की प्रक्रिया सहित विस्तृत प्रपत्र एवं सूचना विभागीय वेबसाइट https@upanganwadibharti-पद पर भी उपलब्ध है साथ ही अधिक जानकारी हेतु तहसील कार्यालय / खण्ड विकास कार्यालय/बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय अथवा विकास भवन में कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास) श्रावस्ती से कार्यालय दिवस में निर्धारित समायावधि में प्राप्त की जा सकती है।
15. आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिका भर्ती में अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरीमीडियट या उसके समकक्ष उर्तीण होना अनिवार्य है। मेरिट, न्यूनतम इण्टरमीडियट

(मोहित पाण्डेय)
एडी०

पृष्ठ-3 पर जारी

या समकक्ष एवं अधिकतम इण्टरमीडियट या समकक्ष के अंकों में स्नातक एवं परास्नातक के अंको को जोड़कर विभागीय पोर्टल के माध्यम से शासनादेश के बिन्दु-7 के प्रस्तर-(I) से (IV) तक में उल्लिखित गणना के अनुसार मेरिट निर्धारण प्रावधानित है।

16. अभ्यर्थियों द्वारा आनेंलाइन आवेदन करते समय पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहें आवेदन फार्म में विधवा / तलाकशुदा/परित्यक्ता/दिव्यांगता श्रेणी का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। आवेदन फार्म में उक्त श्रेणी का उल्लेख न करने पर अभ्यर्थी को विधवा / तलाकशुदा / परित्यक्ता/दिव्यांगता श्रेणी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा मान्य / स्वीकार नहीं होगा।

17. ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज किसी विवरण में वर्तनी अशुद्धि आदि की दशा में मूल अभिलेखों में दर्ज विवरण को ही अंतिम/सही माना जाएगा।

18. विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि दिनांक 27.07.2026 को रात्रि 12:00 बजे तक होगी।

संलग्नक:- रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिका की विवरणवार सूची।

06.07.26

(अरविन्द रस्तोगी)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
श्रावस्ती।

पृष्ठांकन संख्या- C-474 / तददिनांक

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक महोदया, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ०प्र० लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, महोदया, श्रावस्ती।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, श्रावस्ती।
4. जिला सूचना अधिकारी, श्रावस्ती।
5. समस्त सदस्यगण, चयन समिति, श्रावस्ती।
6. समस्त उप जिलाधिकारी, श्रावस्ती।
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, श्रावस्ती।
8. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी जनपद श्रावस्ती को इस निर्देश के साथ कि विज्ञप्ति की प्रति उपजिलाधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी / बाल विकास परियोजना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें।
9. प्रधान सम्पादक एवं विज्ञापन प्रभारी, दैनिक जागरण एवं भिनगा टाइम्स को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त विज्ञप्ति न्यूनतम शासकीय दर पर प्रकाशित करने के साथ ही बिल दो प्रतियों में भुगतान हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. कार्यालय प्रति।

06.07.26

जिला कार्यक्रम अधिकारी
श्रावस्ती।